


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार चुन्दरी कुई, पिता- गोनो हो ग्राम- कुन्डियाधर थाना- कुमारडुँगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 180(Adv)/71-72 रूपये मुलधन-204.00 ब्याज-342.72 लगत-9.00 कुल-555.72 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुँगी। </p>	